

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-6/निदे०-SCA-T-TSP-01-01/2017-

123

प्रति

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार  
गौरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 27.03.17

विषय:- विनीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा जनजातीय उप योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत राशि स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के तहत कंडक्ट स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया ट्राईबल स्टूडेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ हेल्थ कार्ड्स के लिए संलग्न विवरणी के अनुसार ₹10.00 लाख (दस लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

- 2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबधित राशि से वन्द प्रयोजित योजना मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्यय शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -लक्ष्मी शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष 0102-अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष केंद्रीय सहायता, विषय कोड-P2225021020102-विषय शीर्ष 3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा- राज्य योजना स्कीम कोड SST- 5463-पी०एफ०एम०एस० कोड- TSP1 मद में कुल ₹10.00 लाख विकलनीय होगा।
- 3- इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इन योजनाओं के निबंधी पदाधिकारी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी होंगे।
- 4- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे। व्ययन पदाधिकारी राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगे।
- 5- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक-11015/08/2016-TSP, दिनांक-27.06.2016 एवं पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 द्वारा स्वीकृत ₹1423.76 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹10.00 लाख की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।
- 6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।
- 7- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक-22.02.2017 एवं पत्रांक-11015/8/2016-TSP, दिनांक-27.06.2016 तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। विषयवर्तित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

8- जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निदेश के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कुल लाभान्वितों की संख्या का कम से कम 30 प्रतिशत महिला लाभान्वितों से आच्छादित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


9- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

10- स्वीकृति प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11- संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

12- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


  
(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27.03.17

ज्ञापांक -6/निदे0-SCA-T-TSP-01-01/2017- 123


प्रतिलिपि :- सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27.03.17

ज्ञापांक -6/निदे0-SCA-T-TSP-01-01/2017- 123


प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ सभी सम्बन्धित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु0)/ सभी सम्बन्धित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी0) /8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 27.03.17


ज्ञापांक -6/निदे0-SCA-T-TSP-01-01/2017- 123

प्रतिलिपि: अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11015/8/2016-TSP, दिनांक-27.06.2016 एवं पत्रांक-11015/4(4)/2016-Grants, दिनांक- 22.02.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातीय उप योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त स्वीकृत राशि की विवरणी  
(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला का नाम	2011 जनगणना के अनुसार जिलावार अनु० जनजातियों की जनसंख्या	स्वास्थ्य प्रक्षेत्र विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड-P2225021020102
1	2	3	4
1	सारण	36786	0.29
2	गोपालगंज	60807	0.49
3	कैमूर	57981	0.46
4	जमुई	78793	0.63
5	रोहतास	31650	0.25
6	बौका	90432	0.72
7	भागलपुर	67180	0.54
8	सिवान	87000	0.70
9	बक्सर	26824	0.21
10	पूर्णिया	139490	1.12
11	कटिहार	179971	1.44
12	किशनगंज	64224	0.51
13	अररिया	38848	0.31
14	भोजपुर	13977	0.11
15	गया	3098	0.03
16	नवादा	2045	0.02
17	प० चम्पारण	250046	2.00
18	मुंगेर	21404	0.17
	कुल योग	1250556	10.00

  
सचिव 27-3-17

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति  
कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 123 दिनांक 27.03.17 का अनुलग्नक